भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 900

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बुजुग आबादी का मानसिक स्वास्थ्य

900. प्रो.अच्युतानंद सामंतः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि भारत म बुजुग आबादी का एक बड़ा प्रतिशत भारत म नवीनतम लांगीट्यूडीनलएजिंग स्टडी (एलएएसआई) की रिपोट के अनुसार संभावित गंभीर अवसाद तथा बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बुजुग आबादी को उनके मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन करने म मदद करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश म बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मामलों पर ध्यान देने के लिए अधिक योग्य पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार दवारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या सरकार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को चिकित्सा बीमा के दायरे म रखने पर विचार कर रही है ताकि रोगियों पर बोझ कम हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) लांगीट्यूडीनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (एलएएसआई) रिपोट के अनुसार, भारत म वृद्धजनों का एक महत्वपूण अनुपात संभावित गंभीर अवसाद से ग्रस्त है।

(ख) एलएएसआई म, सेन्टर फार एपीडेमियोलाजीकल स्टडीज डिप्रेशन (सीईएस-डी) स्केल का प्रयोग अवसाद के लक्षणों का पहचान करने, और कम्पोसिट इन्टरनेशलन डाइग्नोस्टिक इन्टरव्यू शोट फॉम (सीआईडीआई-एसएफ) स्केल, जो एक संरचित साक्षात्कार स्केल है,

का प्रयोग संभावित मुख्या अवसाद के निदान हेतु किया गया। भारत म 45 वष का आयु के वयस्क तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियां म सीईएस-डी स्केल का जांच म 28% म अवसाद के लक्षण पाए गए तथा 45-59 वष का आयु के 26% व्यस्कां का तुलना म 60 वष और इससे आधिक आयु के 30% व्यक्तियां म अवसाद के लक्षण पाए गए।

भारत म 45 वष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियां म संभावित गंभीर अवसाद का व्याप्तता दर 8% (सीआईडीआई-एसएफ के आधार पर) है। 60 वष का आयु तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियां म संभावित गहन अवसाद का व्याप्तता (8.3%) है नैदानिक अवसाद का स्वयं रिपोट का गई व्याप्रता दर (0.8%) से 10 गुणा अधिक है तथा यह स्पष्ट तौर से गैर-नैदानिक अवसाद का अधिक भार है। सीईएस-डी तथा सीआईडीआई-एसएफ परिणामां का तुलना से स्पष्ट है कि भारत म 60 वष और इससे अधिक आयु के एक-तिहाई व्यक्तियां म अवसाद के लक्षण ह जबकि 60 वष का आयु तथा इससे अधिक आयु के प्रत्येक बारहवे व्यक्ति मे संभावित गंभीर अवसाद के लक्षण व्याप्त ह।

60 वष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियां म पुरूषो (7%) का तुलना म महिलाओं (9%) म संभावित गंभीर अवसाद का व्याप्तता अधिक है तथा शहरा क्षेत्र (6%) का तुलना म ग्रामीण क्षेत्र म (9%), विधवाओं म (10%), अकेले रहने वालां म (13%), अनुसूचित जाति म (13%) तथा जो पहले काय करते थे और अब नहां करते, उनम (10%) अवसाद के लक्षण पाए गए ह।

(ग) : मानसिक विकार के भार से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम (एनएमएचपी) का कायान्वयन किया जा रहा है। सरकार निम्नलिखित उद्देश्यां से देश के 692 जिलां म एनएमएचपी के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम (डीएमएचपी) के कायान्वयन का समथन कर रहा है:

i) आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कायस्थल म तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण तथा विद्यालयां और कॉलेजां म परामश प्रदान करना।

ii) जिला स्वास्थ्य परिचया प्रदानगी प्रणाला के विभिन्न स्तरां पर रोकथाम, संवधन और लंबे समय तक सतत परिचया सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

iii) मानसिक स्वास्थ्य परिचया के लिए उपकरण, और अवसंरचना मानव संसाधन के संबंध म संस्थागत क्षमता म वृद्धि करना।

iv) मानसिक स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रदानगी म सामुदायिक जागरूकता तथा भागीदारा को बढ़ावा देना।

(घ) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र म योग्य जनशक्ति का उपलब्धता म वृद्धि के मद्देनजर सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम (एनएमएचपी) के अंतगत सटर ऑफ एक्सीलस का स्थापना करने और मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं म स्नातकोत्तर (पीजी) विभागां के सुदृढ़ाकरण/ स्थापना करने के लिए जनशक्ति विकास योजनाओं को कायान्वित कर रहा है। आज तक, देश म चार मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं नामतः (i) मनोस्थिति, (ii) क्लानिकल मनोरोग विज्ञान, (iii) मनोरोग नसिग, (iv) मनोरोग सामाजिक कायकलाप म 25 सटस ऑफ एक्सीलस और 47 स्नातकोत्तर (पीजी) विभागां के सुदृढ़ाकरण/ स्थापना के लिए सहायता प्रदान का गई है।

सरकार, तीन कद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानां अथात राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बगलुरु; लोकोप्रिय गोपीनाथ बोर्दालोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम तथा कद्रीय मनोरोग संस्थान, रांची म स्थापित डिजिटल अकादमियां के जरिए सामान्य स्वास्थ्य परिचया चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा चिकित्सकां का विभिन्न श्रेणियां के ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर के देश के अल्पसेवित क्षेत्रों म मानसिक स्वास्थ्य परिचया सेवाएं देने के लिए भी जनशक्ति का उपलब्धता म वृद्धि कर रहा है।

(ड.) मानसिक स्वास्थ्य परिचया अधिनियम, 2017 का धारा 21(4) के अनुसार, प्रत्येक बीमाकता मानसिक रोग के उपचार हेतु चिकित्सा बीमा म उसी प्रकार के प्रावधान करेगा जैसे कि शारिराक रोग के उपचार हेतु उपलब्ध ह। भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2018 के आदेश के तहत सभी बीमा कंपनियां को मानसिक स्वास्थ्य परिचया अधिनियम, 2017 के उक्त प्रावधानां के अनुपालन के निदश दिए ह।

*****